"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल 2017—चैत्र 17, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2017

क्रमांक ई 1-01/2017/1-2.—राज्य शासन एतदद्वारा श्री के. डी. कुंजाम, भा.प्र.से. (2009), अपर कलेक्टर, बिलासपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीपत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सीपत का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

नया रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2017

क्रमांक ई-1-1-2017/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मयंक वरवड़े (भाप्रसे-2001), संचालक, लोक शिक्षण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

2. कु. जिनेविवा किंडो (भाप्रसे-2004), संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग तथा संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नवीन स्थापित होने वाले छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग में सदस्य सचिव के पद पर पदस्थ करता है.

कु. जिनेविवा किंडो, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा (भाप्रसे-2008), आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, लोक शिक्षण के पद पर पदस्थ करता है.

4. श्री कुमार लाल चौहान (भाप्रसे-2009) उपायुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई के पद पर पदस्थ करता है.

5. श्री अनुराग पाण्डेय (भाप्रसे-2009), विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्ट्रेट रायपुर, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2017

क्रमांक एफ 5-3/2017/एक (1).—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. सैम कोशी, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 19 जनवरी, 2017 से 27 जनवरी, 2017 तक (09 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित Commuted Leave का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, विशेष सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2017

क्रमांक 884/9936/2016/18.—श्री आलोक चन्द्रवंशी, आयुक्त, नगर पालिक निगम बीरगांव को दिनांक 26-01-2017 से 04-02-2017 तक (10 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रवंशी आगामी आदेश तक नगर पालिक निगम बीरगांव में आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश से अवधि में श्री चन्द्रवंशी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रवंशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2017

क्रमांक एफ 1-59/2014/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत सहायक प्राध्यापक (इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,000/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्था में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	चयनित सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	राहुल गुप्ता	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, उप-सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2017

क्रमांक एफ 6-59/2016/वा.कर (आब.)/पांच.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निम्नलिखित जिला आबकारी अधिकारी को सहायक आयुक्त आबकारी, के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 15600-39100+ग्रेड वेतन रुपये 6600/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष कॉलम-3 में दर्शाए गए स्थान पर अस्थायी रूप से, आगामी अदोश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम, पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री महेश राम उईके, जिला आबकारी अधिकारी, जिला-गरियाबंद.	सहायक आयुक्त आबकारी, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-गरियाबंद.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नति में "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003" की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-2/2003/1-3, दिनांक 26-11-2012 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में जारी किये गये रोस्टर तथा अन्य पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

3. उपरोक्त अधिकारी की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

4. उपरोक्त पदोन्नति उपरांत पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-01/2016/एक/6, दिनांक 11 जून, 2016 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2016-17 की कंडिका 4.6 में प्राप्त अधिकारों के पालन में माननीय विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2017

क्रमांक एफ 1-11/2016/10-भा.व.से.—श्री के. सी. बेवर्ता, भा.व.से. (1983) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि., रायपुर अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 28-02-2017 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं.

2. उपरोक्तानुसार रिक्त प्रबंध संचालक के पद पर किसी अन्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी के पदस्थापना होने तक श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल, भा.व.से. (1983) अपर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि., रायपुर अपने कर्त्तव्य के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि., रायपुर का कार्य भी आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, विशेष सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2017

क्रमांक एफ 1-20/2014/स्था./चार.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष 2014 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वित्त विभाग में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (लेखाधिकारी) के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (लेखाधिकारी) के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रुपये 15600-39100 ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में अनन्तिम (Provisional) रुप से कंडिका 2.1 से 2.13 में उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य लेखा सेवा लेखाधिकारी का सूची का सरल क्र.	नाम पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	चयन का वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	10	श्री जितेन्द्र कुमार पैकरा पिता-श्री सिविल सर्जन पैंकरा, निवासी ग्राम-जुजगु, पोस्ट.-कुरडेग, तहसील-बगीचा, जिला-जशपुर (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति

2. 2.1 यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है.

2.2 (अ) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरान्त उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी.

(ब) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/ रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा.

(स) विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी के संबंध में उनके विकलांगता प्रमाण-पत्र का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाकर प्रस्तुत किया जाए.

2.3 परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में संचालनालय द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा भाग-1 एवं भाग-2 निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण करना होगा ताकि परिवीक्षाधीन अवधि समाप्ति के पश्चात् पदांकन संबंधी आगामी कार्यवाही संचालित की जावेगी.

2.4 अभ्यर्थी के निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी कराया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन मे अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उनका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जायेगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

2.5 शासकीय सेवा के दौरान अधिकारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) नियम, 2013 से शासित होंगे.

2.6 उपरोक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गयी अवधि का कोई वेतन देय नहींहोगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

2.7 उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर अधिकारी के समक्ष (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गयी कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

2.8 जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरान्त ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा.

2.9 चयनित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बांड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गयी राशि की वसूली की जाएगी जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा देयक भी शामिल होगा.

2.10 चयनित आवेदक की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गयी चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

2.11 यह नियुक्ति पूर्णत: अंनतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी. इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा.

2.12 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेश का पालन किया गया है.

2.13 उपरोक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 1-5/2005/25-1.—विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 19-09-2011 में त्रुटि सुधार किया गया है. कतिपय जिलों इस निर्देश को नियमितिकरण का निर्देश मानते हुए नियमितीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई है.

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से स्थिति स्पष्ट कराया जा रहा है. अत: अग्रिम आदेश पर्यन्त विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 04-11-2016 का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार काले, अवर सचिव.

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2017

क्रमांक एफ 1-3/2017/स.क./26.—राज्य शासन एतद्द्वारा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (1996 का 1) की धारा 32 के उपबंधों के अनुसरण में नि:शक्तता से ग्रसित व्यक्तियों को धारा 33 के तहत आरक्षण प्रदान किया जाना है. राज्य सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/निकायों/आयोगों/बोर्डो के सभी प्रकार के सेवाओं के समस्त प्रवर्ग श्रेणी के समस्त पदों पर चिन्हांकित पदों की सूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

नि:शक्तजनों के लिए चिन्हांकित पद द्वितीय श्रेणी प्रवर्ग के अंतर्गत अनुक्रमांक 68 के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

क्र.	पदनाम	निष्पादित किये जाने वाले कार्यों की प्रकृति	कार्यस्थल का विवरण	पद के लिए उपयुक्त नि:शक्तता के प्रकार शब्द संक्षेप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
69	सहायक संचालक कृषि	कृषि विभाग के क्रियाओं के क्रियान्वयन में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदाय करने तथा कार्यालयीन कार्यों के निष्पादन में तकनीकी सहयोग, समस्त प्रशिक्षण, किसान मेला प्रदर्शनी में भाग लेना, विकासखण्ड स्तरीय पाक्षिक बैठक में भाग लेना, मित्र कृषकों से सम्पर्क कर तकनीकी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, जैविक खाद, आई.पी.एम. एवं कम तकनीकी लागत के उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ ही अन्य विभागों एवं किसानों से सम्पर्क कर विभाग की योजनाओं का सूचारू रूप से क्रियान्वयन एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य कार्य करना.	कार्यालय, मैदानी एवं पहाड़ी	ओए, ओएल, बीएल, एचएच

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. चेलक, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2017

क्रमांक एफ 10-4/2016/16.—चूंकि राज्य शासन ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के उपबंधो के अनुशरण में निम्न अनुसूची के ''कृषि में नियोजन'' के लिये इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4(सी)3-88-16-ए दिनांक 12-09-1989 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों के पुनरीक्षण के बारे में प्रस्ताव इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 23-09-2016 द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 11-11-2016 में प्रकाशित किया गया था.

अतएव, उक्त अधिनियम जिस रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, की धारा 3 तथा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा इस संबंध में प्राप्त सुझाव/अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार छत्तीसगढ़ न्यूनतम वेतन सलाहकार पर्षद से परामर्श करने के पश्चात् इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 12-09-1989 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची के कालम (1) में दर्शाये गये वर्ग के लिये, कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम वेतन दरें एवं कालम (3) में दर्शाये परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें, दिनांक 01 अप्रैल 2017 से पुनर्निर्धारण करता है, तथा यह निर्देश देता है कि इस प्रकार पुनरीक्षित की गयी न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01 अप्रैल 2017 से प्रवृत्त होंगी :—

अनुसूची

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
(1)	(2)	(3)	(4)
अकुशल श्रमिक	6900	230	न्यूनतम मजदूरी की दरें तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 852 (1986-87 त्र 100) जनवरी 2016 से जून 2016 के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर प्रति छः माह में हुई औसत वृद्धि के अनुपात में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से जैसे भी स्थिति हो, देय होगा. मूल वेतन में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मानी जावेगी. 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी. इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक के छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी. परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी.

स्पष्टीकरण

1. मासिक मजदूरी पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा.

2. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दर से अधिक है तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी.

3. इस अधिसूचना के अन्तर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत है.

4. कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 20 जनवरी 2017

क्रमांक 864/भू-अर्जन/2016.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	करतला	चोरभट्ठी	1.843 हेक्टेयर	चोरभट्ठी-मदवानी मार्ग पर छिंदई नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम, चोरभट्ठी

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 23-01-2017 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन चोरभट्ठी नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	चोरभट्ठी-मदवानी मार्ग पर छिंदई नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	29 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 271.16 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से यह मार्ग बारहमासी हो जावेगा, जिससे आस-पास के 11 ग्रामों के लगभग 12530 ग्रामवासी लाभांवित होंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को राशि रुपये 5.00 लाख का भुगतान चेक क्र. 110542 दिनांक 15-12-2016 के माध्यम से किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 20 जनवरी 2017

क्रमांक 866/भू-अर्जन/2016.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	करतला	मदवानी	0.632 हेक्टेयर	चोरभठ्ठी-मदवानी मार्ग पर छिंदई नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम, मदवानी

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 24-01-2017 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन मदवानी में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — चोरभठ्ठी-मदवानी मार्ग पर छिंदई नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण.
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 06 परिवार
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां
8. परियोजना का कुल लागत — रुपये 271.16 लाख
9. परियोजना से होने वाला लाभ — परियोजना से यह मार्ग बारहमासी हो जावेगा, जिससे आस-पास के 11 ग्रामों के लगभग 12530 ग्रामवासी लाभांवित होंगे.
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को राशि रुपये 5.00 लाख का भुगतान चेक क्र. 110542 दिनांक 15-12-2016 के माध्यम से किया गया है.
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 20 जनवरी 2017

क्रमांक 868/भू-अर्जन/2016.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कोरबा	कोरबा	धौराभाठा	5.52 एकड़	धवननाला व्यपवर्तन योजना की नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 27-01-2017 को समय 12.00 बजे से स्थान पंचायत भवन पसरखेत पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	धवननाला व्यपवर्तन योजना की नहर निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	17 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	17 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना का कुल लागत	—	रु. 652.51 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से 300.00 हेक्टेयर खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी. परियोजना से ग्राम पसरखेत, धौराभाठा एवं चचिया लाभान्वित होंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को राशि रुपये 5.00 लाख का भुगतान चेक क्र. 109458 दिनांक 24-12-2016 के माध्यम से किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 2 मार्च 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	जसरा प.ह.नं. 36	44.186	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्रमांक 1, खरसिया, जिला-रायगढ़.	साराडीह बैराज योजना के डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2016

क्रमांक/9001/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	कुसमी	नवाडीहकला प.ह.नं. 02	0.186	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.).	चान्दो - करचा-छावरी मार्ग पर चेर्रा नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण नवाडीहकला.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2016

क्रमांक/9002/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	कुसमी	शाहपुर प.ह.नं. 05	0.663	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.).	बलरामपुर - चान्दो - कुसमी मार्ग पर रीगड़ नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण शाहपुर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2017

क्रमांक 8/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-लिटियासरई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.419 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
188/3	0.081
19/2	0.332
22/2	0.049
196/1	0.146
148	0.061
143/1	0.016
154/1	0.134
71/2	0.073
151/1, 152	0.045
186/1	0.045
195	0.182
159/1	0.061
146/1	0.085
159/2	0.121
153	0.012
71/3	0.073
196/4	0.097
157/1, 158/1	0.024
73	0.049

	(1)	(2)
	77/1	0.105
	157/2, 158/2	0.049
	78	0.121
	19/1	0.121
	20	0.024
	21/2	0.275
	22/3	0.154
	17/3	0.053
	21/1	0.539
	22/4	0.219
	22/6	0.016
	22/5	0.057
योग	31	3.419

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लिटियासरई जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 मार्च 2017

क्रमांक 02/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पथर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.019 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
110/2	0.065
110/3	0.134
115	0.089
116/1	0.073
116/2	0.069
118, 119/2, 134/3	0.174
130/2	0.048
305	0.065
369	0.065
120/1	0.016
126	0.056
128/2	0.061
159	0.097
129	0.077
131	0.122
134/1क	0.065
134/1ख	0.057
134/2	0.161
137	0.146
154	0.048
156	0.032
457/1	0.081
157	0.029
158/1	0.028
158/2	0.028
160/1, 160/2, 162	0.141
235	0.093
213, 220/1	0.097
214	0.097
216/2, 217	0.085
229/1	0.032
485, 486	0.053
229/2	0.032
232	0.069
487/2	0.065
233/1, 233/2	0.073
236	0.056
238	0.073
302	0.101
304	0.142
307	0.057

	(1)	(2)
	312/4 क	0.028
	312/5 क	0.040
	330/1	0.097
	331	0.012
	312/8	0.121
	329	0.113
	332	0.008
	365	0.101
	367	0.085
	452/1	0.036
	454/1	0.161
	456	0.004
	487/1	0.061
योग	62	4.019

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजनांतर्गत पीपरतराई माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 मार्च 2017

क्रमांक 03/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-तखतपुर
(ग) नगर/ग्राम-भरारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.460 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	66	0.093
	69/2	0.129
	69/3	0.040
	79/1	0.028
	79/2	0.085
	81/1	0.077
	81/2	0.024
	82	0.243
	83	0.239
	84/4	0.101
	94	0.073
	95	0.065
	98/1	0.263
योग	13	1.460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजनांतर्गत भरारी माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 19 दिसम्बर 2016

क्रमांक 2375/लवन/नग्रानि/2016.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक नगर तथा निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बलौदाबाजार द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट लवन निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तद्नुसार सम्यक रूप से

अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है.

अनुसूची

लवन निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम डोंगरा, कोरदा, अहिल्दा एवं बरदा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम बरदा, ढनढनी, मुण्डा एवं चिरपोटा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम चिरपोटा, सरवाडीह, बगबुड़ा, बम्हनपुरी एवं हरदी ग्रामों की दक्षिण सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम हरदी, भालूकोना, सिंधारी, परसापाली, डोगरीडीह एवं डोंगरा पूर्वी सीमा तक.

कमला सिंह,
सहायक संचालक.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्रमांक 2223/नग्रानि/2016.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि पुसौर निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है, उसकी एक-एक प्रति कलेक्टर जिला रायगढ़, कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत पुसौर तथा कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ के कार्यालयों में दिनांक 21-12-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है, पुसौर निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

पुसौर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम झारमुड़ा एवं औरदा की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम औरदा, दाऊभठली, धुरनपाली, कोसमंदा, बाघाडूला, गुडु एवं ओंडेकेरा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम ओंडेकेरा, सराईपाली, केसापाली एवं गोतमा ग्राम की दक्षिण सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम गोतमा, लंकापाली, छींच, तड़ोला एवं झारमुड़ा की पश्चिमी सीमा तक.

इस प्रकार तैयार किये गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश रायगढ़ (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो उप संचालक नगर, तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

No. 2223/TCP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Pusour planning area has been prepared under sub-section (i) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for insepction from 21-12-2016 During office hours in the office of Collector Raigarh, Chief Municipal Officer, Nagar Panchayat Pusour and Deputy Director, Town & Country Planning Raigarh. The limit of the Pusour Planning Area is defined in the scheduele given below :—

SCHEDULE

Limit of Pusour Planning Area

NORTH	:	Village Jharmuda and upto the Northern limit of Village Aurda.
WEST	:	Village Aurda, Daubhathali, Dhuranpali, Kosmanda, Baghadula, Gudu and upto Eastern limit of Village Ondekera.
SOUTH	:	Village Ondeker, Saraipali, Kesapali and up to the Southern limit of Gotma.
EAST	:	Village Gotma, Lankapali, Chhinch, Tadola and upto Western limit of Village Jharmuda.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Deputy Director, Town & Country Planning, Raigarh C.G. or Inspection site within a period of Thirty days from the that date of publication of the Notice in the Chhattisgarh Gazettee.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use maps before the period specified above will be considered by the Dy. Director Town & Country Planning Raigarh.

Inspection site :— Office of the Chief Municipal Officer, Nagar Panchayat Pusour, Dist.-Raigarh (C.G.)

आर. एन. प्रसाद,
उप-संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जशपुर (छ.ग.)

जशपुरनगर, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

शुद्धि पत्र

क्रमांक 934/नग्रानि.-बगीचा वि.यो./2016.—एतद्द्वारा यह सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के तहत बगीचा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र का अंगीकृत सूचना जो छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 12-08-2016 के भाग-1, पृष्ठ क्रमांक-1459 में हिन्दी में मुद्रित हुई थी, त्रुटिपूर्ण थी अत: उसके स्थान पर छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 25-11-2016 के भाग-1 पृष्ठ क्रमांक-2102 में हिन्दी एवं अंग्रेजी में सही सूचना मुद्रित हुई है.

अतएव छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 12-08-2016 के भाग-1, पृष्ठ क्रमांक-1459 में हिन्दी में मुद्रित सूचना को निरस्त समझी जावे.

ललिता धुर्वे
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 28th February 2017

No. 303/Confdl./2017/II-3-14/2000 (Pt.-II).—On the basis of application of Ku. Manisha Thakur, Member of Lower Judicial Service presently posted as Civil Judge Class-II, Patthalgaon, District-Jashpur, She is hereby, permitted to change her name as "Smt. Manisha Thakur" in place of "Ku. Manisha Thakur" and to incorporate the name of her husband "Shri Pradeep Sahu" in her service records. It is directed that nceecessary changes be affected in all her records.

Bilaspur, the 3rd March 2017

No. 2196/III-6-1/2007 (Pt.I).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon :—

1) Smt. Manju Lata Sinha, J.M.S.C., Balodabazar.
2) Ku. Shanti Prabhu, J.M.S.C., Rajnandgaon.

Bilaspur, the 3rd March 2017

No. 2198/III-6-2/2007.—In exercise of the powers Conferred under cluase (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers upon Smt. Manju Lata Sinha, J.M.F.C., Balodabazar to try in a summary way all or any of the offences specified in the said section.

By order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.